NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 18-07-2026

विषय सूची

संविधान (एक सौ तीसवाँ संशोधन) विधेयक

बिम्सटेक द्वारा क्षेत्रीय सुरक्षा एवं समुद्री सहयोग का सुदृढ़ीकरण

संशोधित उड़ान योजना : भारत के क्षेत्रीय विमानन नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण

कृषि क्षेत्र में महिला कृषकों का सशक्तिकरण

कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भ्रांतिजन्य त्रुटियाँ

संक्षिप्त समाचार

फॉकलैंड द्वीपसमूह

मानसबल झील

विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन (WAICO)

निवेश अनुकूलता सूचकांक (IFI)

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM)

ICMR i-ड्रोन पहल

भारत प्राइवेट लॉन्च क्षमता वाला तीसरा देश बना।

व्हाइट रैबिट प्रौद्योगिकी आधारित नेटवर्क प्रदर्शन

ASW अल्प-गहराई वाले जल युद्धपोत 'मालवन'

संविधान (एक सौ तीसवाँ संशोधन) विधेयक

समाचार में

- संविधान (एक सौ तीसवाँ संशोधन) विधेयक की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने अपनी पाँच अनुशंसाओं में से दो पर मतदान की प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी मसौदा प्रतिवेदन को अपनाने का निर्णय स्थगित कर दिया है।
- संविधान (130वाँ संशोधन) विधेयक, 2025 में यह प्रस्ताव किया गया है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अथवा मंत्री किसी गंभीर आपराधिक अपराध के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाते हैं, तो उन्हें अपने पद से हटाया जाए।

संविधान (130वाँ संशोधन) विधेयक, 2025 के बारे में

- **उद्देश्य:** इस विधेयक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गंभीर आपराधिक अपराधों के मामलों में दीर्घकालीन न्यायिक अभिरक्षा में रहने वाले व्यक्ति उच्च संवैधानिक पदों पर बने न रहें।
- **प्रयोज्यता :** यह विधेयक **केंद्र सरकार**, **राज्य सरकारों** तथा **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली** पर लागू होगा।
  - **पुदुचेरी** तथा **जम्मू-कश्मीर** के लिए समान प्रावधानों वाले पृथक विधेयक भी प्रस्तुत किए गए हैं।
  - **पदच्युति के आधार:** निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी मंत्री को पदच्युति किया जा सकेगा—
    - यदि उस पर ऐसे अपराध का आरोप लगाया गया हो, जिसके लिए **पाँच वर्ष या उससे अधिक के कारावास** का प्रावधान हो; तथा
    - यदि वह **निरंतर तीस दिनों** तक गिरफ्तार होकर न्यायिक अभिरक्षा में रहे।
- **मंत्रियों को पदच्युति करने की प्रक्रिया: केंद्रीय मंत्री** को राष्ट्रपति तथा **राज्य मंत्री** को राज्यपाल, क्रमशः **प्रधानमंत्री** अथवा **मुख्यमंत्री** के परामर्श पर पदच्युति कर सकेंगे।
  - यदि निर्धारित अवधि के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो मंत्री को **न्यायिक अभिरक्षा के 31वें दिन से स्वतः पद रिक्त माना जाएगा।**
- **प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के संबंध में प्रावधान:** प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री को **निरंतर 30 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा** पूर्ण होने पर अपने पद से त्यागपत्र देना होगा।
  - यदि वे त्यागपत्र नहीं देते हैं, तो **31वें दिन से उनका पद स्वतः समाप्त माना जाएगा।**

प्रमुख मुद्दे एवं चिंताएँ

- **संवैधानिक प्रश्न:** विधेयक में गंभीर अपराधों के मामलों में केवल **30 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा** के आधार पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों को स्वतः पद से हटाने का प्रावधान किया गया है। इससे दोषसिद्धि से पूर्व केवल आरोपों के आधार पर पदच्युत किए जाने तथा संविधान के **मूल ढाँचे** पर उसके संभावित प्रभाव को लेकर गंभीर संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न होते हैं।
- **शक्ति के दुरुपयोग की आशंका:** प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री निर्वाचित विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
  - स्वतः पदच्युति की व्यवस्था से जाँच एजेंसियाँ अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सरकारों के भविष्य को प्रभावित करने की स्थिति में आ सकती हैं।
  - इससे प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री के मंत्रियों के चयन एवं पदस्थापन संबंधी विवेकाधिकार में भी कमी आ सकती है।
- **शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत:** निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की गिरफ्तारी कार्यपालिका के अधीन कार्यरत जाँच एजेंसियों को सरकारों के कार्यकाल को प्रभावित करने का अवसर प्रदान कर सकती है।
  - इससे नागरिकों → विधानमंडलों → सरकारों तक उत्तरदायित्व की लोकतांत्रिक श्रृंखला कमजोर होने की आशंका है।
- **संघवाद पर प्रभाव:** यदि किसी एक स्तर की सरकार की जाँच एजेंसियाँ दूसरे स्तर की सरकार के निर्वाचित प्रतिनिधियों को गिरफ्तार करती हैं, तो इससे संघ एवं राज्यों के मध्य संवैधानिक संतुलन प्रभावित हो सकता है।
- **विधि का शासन:** गिरफ्तारी केवल संदेह अथवा जाँच की प्रक्रिया का हिस्सा होती है, दोषसिद्धि का प्रमाण नहीं।
  - गिरफ्तारी के चरण में न्यायालय केवल गिरफ्तारी की वैधता का परीक्षण करते हैं, अपराध सिद्ध होने का नहीं।
  - न्यायिक निर्णय से पूर्व किसी मंत्री को पद से हटाना मनमाना माना जा सकता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन हो सकता है।

संयुक्त संसदीय समिति के मसौदा प्रतिवेदन की प्रमुख अनुशंसाएँ

- **'पदच्युति' के स्थान पर 'निलंबन' का प्रावधान:** मंत्रियों को स्वतः पदच्युति के बजाय, न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण होने तक उन्हें **निलंबित** रखा जाए।
- **स्वतः पुनर्स्थापना का प्रावधान:** यदि संबंधित व्यक्ति दोषमुक्त हो जाता है अथवा निर्धारित अवधि के अंदर अभियोजन आगे नहीं बढ़ता है, तो उसका निलंबन स्वतः समाप्त कर उसे पुनः पद पर पुनर्स्थापित किया जाए।
- **'गंभीर आपराधिक अपराध' की स्पष्ट परिभाषा:** गंभीर आपराधिक अपराधों में ऐसे अपराधों को सम्मिलित किया जाए, जिनके लिए **पाँच वर्ष या उससे अधिक के कारावास** का प्रावधान है।

आगे की राह

- **संविधान (130वाँ संशोधन) विधेयक, 2025** का उद्देश्य राजनीति में शुचिता तथा शासन में उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करना है। किंतु केवल गिरफ्तारी एवं न्यायिक अभिरक्षा के आधार पर जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से पद से हटाने का प्रावधान **अनुच्छेद 21, दोष सिद्ध होने तक निर्दोष माने जाने के सिद्धांत** तथा **लोकतांत्रिक मूल्यों** के संदर्भ में गंभीर चिंताएँ उत्पन्न करता है।

- अतः आवश्यकता इस बात की है कि ऐसा संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाए, जो एक ओर नैतिक एवं उत्तरदायी सार्वजनिक नेतृत्व को सुनिश्चित करे और दूसरी ओर **विधिसम्मत प्रक्रिया** तथा संवैधानिक अधिकारों की भी पूर्ण सुरक्षा करे।
- संवैधानिक दृष्टि से अधिक उपयुक्त समाधान होंगे—
  - शासन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
  - आपराधिक मामलों का त्वरित निस्तारण करना।
  - संवैधानिक एवं जाँच संस्थाओं की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को और अधिक सुदृढ़ बनाना।

बिम्सटेक द्वारा क्षेत्रीय सुरक्षा एवं समुद्री सहयोग का सुदृढ़ीकरण

संदर्भ

- बिम्सटेक (BIMSTEC) के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई, जिसमें आतंकवाद, साइबर खतरों, समुद्री सुरक्षा संबंधी चुनौतियों तथा उभरते सुरक्षा जोखिमों के विरुद्ध क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की गई।

प्रमुख बिंदु

- सदस्य देशों ने मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) के समुद्री घटक के लिए दिशा-निर्देशों को अपनाया।
- ये दिशा-निर्देश बिम्सटेक सदस्य देशों को क्षेत्र में आपदा राहत कार्यों को त्वरित एवं प्रभावी ढंग से संचालित करने में सहायता प्रदान करेंगे।
- सदस्य देशों ने समुद्र में परस्पर संपर्क के दौरान समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसियों के आचरण हेतु मार्गदर्शक सिद्धांतों के एक समूह को भी अनुमोदित किया।

बिम्सटेक (BIMSTEC) क्या है?

- बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पहल (BIMSTEC) बंगाल की खाड़ी के तटीय एवं समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित सात सदस्य देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है।
- इस संगठन की स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ हुई।
- यह बंगाल की खाड़ी से जुड़े दक्षिण एशिया तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों को एक साझा मंच प्रदान करता है।
- **संस्थापक सदस्य (1997):**
  - बांग्लादेश
  - भारत
  - श्रीलंका
  - थाईलैंड
- वर्तमान सदस्य :
  - बांग्लादेश
  - भूटान
  - भारत
  - म्यांमार
  - नेपाल
  - श्रीलंका
  - थाईलैंड
- **उद्देश्य:** सदस्य देशों के आर्थिक विकास को गति प्रदान करना।
  - सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करना।
  - विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा आर्थिक सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना।
  - बिम्सटेक क्षेत्र में लगभग 1.7 अरब जनसंख्या निवास करती है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 22 प्रतिशत है। इस क्षेत्र का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (GDP) लगभग 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- **सचिवालय:** बिम्सटेक का सचिवालय ढाका (बांग्लादेश) में स्थित है।

भारत के लिए बिम्सटेक का महत्त्व

- **दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के मध्य सेतु:** बिम्सटेक भारत को म्यांमार और थाईलैंड के माध्यम से दक्षिण-पूर्व एशिया तथा बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से जोड़ता है।
  - यह कलादान बहु-माध्यम पारगमन परिवहन परियोजना तथा भारत–म्यांमार–थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना जैसी पहलों को समर्थन प्रदान करता है।
- **चीन के बढ़ते प्रभाव का संतुलन:** बिम्सटेक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक एवं कूटनीतिक भूमिका को सुदृढ़ करता है।
  - यह चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) के एक प्रभावी क्षेत्रीय विकल्प के रूप में भी उभरता है।
- **समुद्री सुरक्षा:** बंगाल की खाड़ी भारत की समुद्री सुरक्षा रणनीति तथा ऊर्जा व्यापार मार्गों की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- **पूर्वोत्तर भारत के विकास में सहायक:** यह पूर्वोत्तर भारत के विकास तथा उसे क्षेत्रीय बाजारों से जोड़ने के नए अवसर उपलब्ध कराता है।
- **बंगाल की खाड़ी : ऊर्जा केंद्र के रूप में:** तेल एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, नवीकरणीय ऊर्जा तथा नीली अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग की व्यापक संभावनाएँ उपलब्ध हैं।
- **साझी सभ्यतागत विरासत:** सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत, विशेषकर बौद्ध धर्म, एक महत्त्वपूर्ण साझा आधार है।
  - इससे क्षेत्रीय पर्यटन, बौद्ध परिपथों के विकास तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलता है।
- **दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) का प्रभावी विकल्प:** भारत–पाकिस्तान संबंधों में तनाव के कारण दक्षेस (SAARC) की गतिविधियाँ लंबे समय से प्रभावित रही हैं।

- ऐसी स्थिति में बिम्सटेक क्षेत्रीय सहयोग के अधिक सक्रिय एवं प्रभावी मंच के रूप में उभरा है।

चुनौतियाँ

- **राजनीतिक अस्थिरता:** म्यांमार में जारी गृह-संघर्ष ने क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं, विशेषकर भारत–म्यांमार–थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग तथा कलादान बहु-माध्यम पारगमन परिवहन परियोजना को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।
- **संस्थागत कमजोरी:** बिम्सटेक सचिवालय के पास वित्तीय एवं मानव संसाधनों की सीमित उपलब्धता है, जिससे निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं निगरानी की क्षमता प्रभावित होती है।
- **द्विपक्षीय विवाद:** बांग्लादेश–म्यांमार सीमा विवाद तथा सदस्य देशों के बीच समय-समय पर उत्पन्न होने वाले कूटनीतिक मतभेद सर्वसम्मति आधारित निर्णय-निर्माण में बाधा उत्पन्न करते हैं।
- **अपूर्ण आर्थिक एकीकरण:** बिम्सटेक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर लंबे समय से जारी वार्ताओं के निष्कर्ष तक न पहुँच पाने के कारण व्यापार, निवेश तथा क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं के विकास की संभावनाएँ सीमित बनी हुई हैं।

निष्कर्ष

- बंगाल की खाड़ी का रणनीतिक एवं आर्थिक महत्त्व निरंतर बढ़ रहा है। ऐसे में बिम्सटेक के पास दक्षिण एशिया एवं दक्षिण-पूर्व एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के प्रमुख मंच के रूप में उभरने की व्यापक क्षमता है।
- यदि यह संगठन अपनी प्रतिबद्धताओं को प्रभावी क्रियान्वयन में परिवर्तित करने में सफल होता है, तो यह सुरक्षित, परस्पर जुड़ा हुआ, लचीला तथा समृद्ध बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साथ ही, यह भारत की 'पड़ोसी प्रथम', 'एक्ट ईस्ट' तथा 'महासागर' (MAHASAGAR) दृष्टि को भी सुदृढ़ आधार प्रदान करेगा।

स्रोत: IE, TH

संशोधित उड़ान योजना : भारत के क्षेत्रीय विमानन नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण

संदर्भ

- हाल ही में **केंद्रीय मंत्रिमंडल** ने **वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2035–36** की अवधि के लिए **28,840 करोड़ रुपये** के परिव्यय के साथ **संशोधित उड़ान (UDAN) योजना** को स्वीकृति प्रदान की है।

उड़े देश का आम नागरिक (UDAN) योजना के बारे में

- **क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) – उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक)** का शुभारंभ **वर्ष 2016** में **नागरिक उड्डयन मंत्रालय** द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य विशेष रूप से **असेवित एवं अल्पसेवित क्षेत्रों** में हवाई यात्रा को **किफायती, सुलभ तथा व्यापक** बनाना है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:** चयनित क्षेत्रीय हवाई मार्गों पर **किरायों की अधिकतम सीमा** निर्धारित करना।
  - विमानन कंपनियों को **व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF)** उपलब्ध कराना।
  - अनुपयोगी **हवाई अड्डों, हेलीपोर्टों तथा जल हवाई अड्डों** का पुनरुद्धार।
  - केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय तथा परिचालन संबंधी सहायता।
  - **क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) उपकर** के माध्यम से वित्तपोषण, जो भारत की एक विशिष्ट क्षेत्र-आधारित वित्तीय व्यवस्था है।

उड़ान योजना की प्रमुख उपलब्धियाँ (2016–2026)

- भारत विश्व का **तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार** बनकर उभरा।
- परिचालित हवाई अड्डों की संख्या **2014 के 74 से बढ़कर जुलाई 2026 तक 165** हो गई तथा **679 उड़ान मार्ग** संचालित हो रहे हैं।
- **3.58 लाख से अधिक उड़ानों** का संचालन किया गया, जिससे **1.68 करोड़ से अधिक यात्रियों** को लाभ प्राप्त हुआ।
- **तेजपुर, पासीघाट, पिथौरागढ़, दीव तथा राउरकेला** जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर हवाई संपर्क स्थापित हुआ।
- **उड़ान यात्री कैफ़े, फ्लाईब्ररी** तथा **नि:शुल्क वाई-फाई** जैसी यात्री-केंद्रित पहलों ने हवाई अड्डों पर यात्रियों के अनुभव को और बेहतर बनाया।

संशोधित उड़ान योजना की आवश्यकता का कारण

- उड़ान योजना के क्रियान्वयन के दौरान अनेक चुनौतियाँ सामने आईं, जैसे—
  - अनेक क्षेत्रीय हवाई अड्डे निरंतर घाटे में संचालित हो रहे थे।
  - संचालन एवं रखरखाव की लागत अत्यधिक थी।
  - अल्प दूरी के क्षेत्रीय मार्गों के लिए उपयुक्त विमानों की उपलब्धता सीमित थी।
  - दूरस्थ क्षेत्रों में हवाई अड्डों की आधारभूत संरचना अपर्याप्त थी।
  - पर्वतीय, द्वीपीय एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में हवाई संपर्क अपेक्षाकृत कमजोर था।
  - निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी तथा योजना की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी।

संशोधित उड़ान योजना (2026)

- यह योजना आगामी **दस वर्षों (वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2035–36)** के लिए भारत की क्षेत्रीय विमानन नीति का आगामी चरण है।
- **मुख्य फोकस क्षेत्र:** आधारभूत संरचना का विस्तार।
  - हवाई अड्डों का सतत संचालन।
  - विमानन कंपनियों की वित्तीय व्यवहार्यता।
  - हेलीकॉप्टर संपर्क का विस्तार।
  - विमानन क्षेत्र में स्वदेशी क्षमता का विकास।
  - क्षेत्रों का समावेशी विकास।

प्रमुख घटक

- **हवाई अड्डों का विकास:** वर्तमान में अनुपयोगी हवाई पट्टियों का उपयोग करते हुए **100 नए हवाई अड्डों, 441 हवाई पट्टियों** तथा **200 आधुनिक हेलीपोर्टों** का विकास किया जाएगा।
  - इसका उद्देश्य क्षेत्रीय विमानन आधारभूत संरचना का विस्तार करना, छोटे नगरों को राष्ट्रीय विमानन नेटवर्क से जोड़ना तथा यात्रियों एवं माल के आवागमन को सुगम बनाना है।
- **संचालन एवं रखरखाव (O&M) सहायता:** छोटे हवाई अड्डों के संचालन एवं रखरखाव हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी—
  - प्रत्येक हवाई अड्डे के लिए **प्रति वर्ष अधिकतम 3.06 करोड़ रुपये**।
  - प्रत्येक हेलीपोर्ट अथवा जल हवाई अड्डे के लिए **प्रति वर्ष अधिकतम 0.90 करोड़ रुपये**।
- **विमानन कंपनियों के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF):** विमानन कंपनियों को **अधिकतम पाँच वर्षों** तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  - तीसरे वर्ष से सहायता राशि क्रमिक रूप से कम की जाएगी।
  - किसी मार्ग पर विशेष परिचालन अधिकार की अवधि **अधिकतम तीन वर्ष** होगी।
  - इसका उद्देश्य विमानन कंपनियों को तब तक क्षेत्रीय मार्गों पर सेवाएँ संचालित करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जब तक वे व्यावसायिक रूप से लाभकारी न बन जाएँ।
- **आत्मनिर्भर भारत एवं स्वदेशी विमानन क्षमता का सुदृढ़ीकरण:** योजना के अंतर्गत **हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)** द्वारा निर्मित **दो ध्रुव हेलीकॉप्टर पवन हंस** को तथा **दो डोर्नियर विमान एलायंस एयर** को उपलब्ध कराए जाएँगे।
  - इसका उद्देश्य स्वदेशी विमान निर्माण को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना तथा दुर्गम क्षेत्रों में विमानन सेवाओं की क्षमता को सुदृढ़ करना है।

स्रोत: PIB

कृषि क्षेत्र में महिला कृषकों का सशक्तिकरण

समाचारों में

- **महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम, 2026** के माध्यम से महाराष्ट्र महिलाओं के किसान सशक्तिकरण हेतु समर्पित विशेष कानून बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है।

महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम, 2026

- इस अधिनियम का उद्देश्य कृषि में महिलाओं के ऐतिहासिक योगदान की उपेक्षा को दूर करना तथा भूमि स्वामित्व की परवाह किए बिना उन्हें सरकारी योजनाओं, ऋण, बीमा, कृषि विस्तार सेवाओं, प्रौद्योगिकी एवं बाजारों तक बेहतर पहुँच प्रदान करना है।
- इसमें **"किसान"** की व्यापक परिभाषा दी गई है, जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, कृषि-वानिकी , मशरूम उत्पादन, वर्मी-कम्पोस्ट उत्पादन तथा प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण से जुड़ी महिलाओं को, चाहे वे भूमि की स्वामिनी हों अथवा कृषि श्रमिक, किसान के रूप में मान्यता दी गई है।
- इसकी प्रमुख व्यवस्थाओं में से एक **महिला किसान प्रमाण-पत्र (WFC)** है, जो महिलाओं को भूमि का स्वामित्व न होने पर भी किसान के रूप में मान्यता प्रदान करता है तथा उन्हें सरकारी लाभ एवं संस्थागत सहायता प्राप्त करने का अधिकार देता है।
- अधिनियम के अंतर्गत महिला किसानों का **डिजिटल रजिस्टर**, एक **समर्पित महिला किसान सशक्तिकरण कोष** तथा राज्य, जिला एवं उप-जिला स्तर पर कार्यान्वयन तंत्र की व्यवस्था की गई है।
- इसके अतिरिक्त, कार्यान्वयन की निगरानी हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में **राज्य स्तरीय निगरानी समिति** तथा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में **शासी परिषद** का गठन किया जाएगा।

कृषि में महिलाओं की भूमिका

- कृषि आज भी भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग **80 प्रतिशत महिलाएँ** कृषि एवं इससे संबद्ध गतिविधियों में संलग्न हैं।
  - इनमें से लगभग **33 प्रतिशत महिलाएँ कृषि श्रमिक** हैं तथा **48 प्रतिशत महिलाएँ स्वरोज़गार आधारित किसान** हैं।
- महिलाएँ कृषि मूल्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण—फसल उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, कृषि-वानिकी, कटाई उपरांत प्रसंस्करण, पैकेजिंग एवं विपणन—में सक्रिय भूमिका निभाती हैं।

महत्व

- **ग्रामीण कार्यबल की रीढ़:** महिला किसान भारत की कृषि प्रगति को गति प्रदान करने में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
- **पशुपालन की आधारशिला:** महिलाएँ पशुपालन, डेयरी प्रबंधन तथा छोटे जुगाली करने वाले पशुओं के पालन की प्रमुख संचालक हैं, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय को स्थिरता प्राप्त होती है।
- **कृषि जैव-विविधता की संरक्षक:** महिलाएँ प्रायः पारंपरिक कृषि ज्ञान एवं स्वदेशी बीजों के संरक्षण की प्रमुख संवाहक होती हैं।
- **कटाई उपरांत प्रसंस्करण की प्रेरक:** महिला सहकारी समितियाँ कटाई उपरांत गतिविधियों का संचालन एवं कच्चे उत्पादों को मूल्य संवर्धित वस्तुओं, जैसे मसाला प्रसंस्करण, मशरूम उत्पादन आदि में परिवर्तित कर खाद्य अपव्यय को कम करने तथा ग्रामीण बाजारों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण योगदान देती हैं।

महिला किसानों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

- **भूमि स्वामित्व का अभाव:** अधिकांश महिला किसानों के नाम पर कृषि भूमि का स्वामित्व नहीं होता।
  - भूमि का कानूनी स्वामित्व न होने के कारण उन्हें स्वतंत्र किसान के बजाय केवल "सहायक" माना जाता है, जिससे संस्थागत ऋण, फसल बीमा तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) जैसी सरकारी सुविधाओं तक उनकी पहुँच सीमित हो जाती है।
- **अत्यधिक शारीरिक श्रम:** अधिकांश आधुनिक कृषि यंत्र एवं उपकरण पुरुषों की शारीरिक संरचना को ध्यान में रखकर विकसित किए गए हैं।
  - परिणामस्वरूप महिलाएँ आज भी पारंपरिक एवं कम दक्ष उपकरणों का उपयोग करने के लिए विवश हैं, जिससे अधिक शारीरिक श्रम तथा कम उत्पादकता की समस्या उत्पन्न होती है।
- **आधुनिक कृषि ज्ञान तक सीमित पहुँच:** उच्च उपज वाली किस्मों (HYV Seeds), जलवायु-स्मार्ट कृषि तकनीकों तथा डिजिटल कृषि उपकरणों की जानकारी एवं उपयोग से अधिकांश महिलाएँ अभी भी वंचित हैं।
- **जलवायु परिवर्तन एवं संवेदनशीलता:** सूखा एवं जल संकट जैसी परिस्थितियों में महिलाओं की देखभाल संबंधी जिम्मेदारियाँ कई गुना बढ़ जाती हैं।
  - जल एवं चारे की व्यवस्था हेतु उन्हें अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे कृषि प्रबंधन हेतु उपलब्ध समय कम हो जाता है।

कृषि में महिला किसानों हेतु सरकारी पहल

- **एकीकृत कृषि विपणन योजना (ISAM):** इस योजना के अंतर्गत **कृषि विपणन अवसंरचना (AMI)** के माध्यम से ग्रामीण कृषि विपणन को सुदृढ़ करने हेतु गोदामों एवं भंडारण संरचनाओं के निर्माण एवं आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  - महिला किसानों, अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) प्रवर्तकों, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) तथा उत्तर-पूर्व एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लाभार्थियों को **33.33 प्रतिशत सब्सिडी**, जबकि मैदानी क्षेत्रों के किसानों को **25 प्रतिशत सब्सिडी** प्रदान की जाती है।
- **नमो ड्रोन दीदी योजना:** यह वर्ष **2023-26** की अवधि हेतु ₹1,261 करोड़ के परिव्यय वाली एक **केंद्रीय क्षेत्र योजना** है।
  - इसके अंतर्गत **15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs)** को कृषि सेवाओं हेतु ड्रोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
  - योजना के तहत ड्रोन खरीदने पर **80 प्रतिशत वित्तीय सहायता (अधिकतम ₹8 लाख)** तथा ड्रोन पायलट एवं सहायक के प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है।
  - यह योजना **कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (SMAM)** के अनुरूप भी है, जिसके अंतर्गत महिला, लघु एवं सीमांत, SC/ST तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों के किसानों को ड्रोन खरीदने पर **50 प्रतिशत सहायता (अधिकतम ₹5 लाख)** प्रदान की जाती है।
- **राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (NBHM):** यह वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन, गुणवत्तापूर्ण शहद उत्पादन तथा मधुमक्खी पालन क्षेत्र के समग्र विकास को प्रोत्साहित करने वाली एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है।
- **दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM):** यह ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन का प्रमुख कार्यक्रम है, जो स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से महिलाओं को स्वरोज़गार, कौशल विकास, कृषि आधारित उद्यमिता एवं आजीविका के अवसर प्रदान करता है।
- **संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS):** इस योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से ₹3 लाख तक के अल्पकालिक फसल ऋण **7 प्रतिशत प्रभावी ब्याज दर** पर उपलब्ध कराए जाते हैं।
  - ऋण देने वाले संस्थानों को **1.5 प्रतिशत ब्याज अनुदान** प्रदान किया जाता है।
- **एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH):** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है, जिसका उद्देश्य फल, सब्जियाँ, मसाले, पुष्प एवं बागान फसलों के उत्पादन तथा कटाई उपरांत प्रबंधन को बढ़ावा देना है।

- **अरहर आत्मनिर्भरता मिशन:** वर्ष **2025-26 से 2030-31** तक ₹11,440 करोड़ के परिव्यय वाला यह मिशन तूर, उड़द एवं मसूर के उत्पादन में वृद्धि हेतु प्रारम्भ किया गया है।
    - इसके अंतर्गत जलवायु-अनुकूल बीज, खेती का विस्तार, कटाई उपरांत अवसंरचना तथा सुनिश्चित सरकारी खरीद की व्यवस्था की गई है।
    - इस मिशन से महिला किसानों सहित सभी दलहन उत्पादकों को लाभ प्राप्त होगा।
- **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN):** वर्ष **2019** में प्रारम्भ की गई यह **केंद्रीय क्षेत्र योजना** पात्र भू-स्वामी किसान परिवारों को प्रतिवर्ष **₹6,000** की वित्तीय सहायता तीन समान किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से उनके आधार-संबद्ध बैंक खातों में प्रदान करती है।
- **कृषि सखी :** यह **एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया** द्वारा संचालित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है।
    - इसका उद्देश्य महिला किसानों को प्रशिक्षण, जागरूकता तथा फसल बीमा में सहभागिता हेतु प्रोत्साहित करना है।
    - कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2026 तक माहवार कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

- कृषि क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण कृषि उत्पादकता में वृद्धि, ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ बनाने तथा समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
- लैंगिक संवेदनशील योजनाएँ, कौशल विकास कार्यक्रम, महिला-अनुकूल कृषि प्रौद्योगिकियाँ तथा संस्थागत समर्थन जैसी लक्षित पहलें महिलाओं के श्रमभार को कम करने, उनकी आय में वृद्धि करने तथा उन्हें कृषि मूल्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

स्रोत : IE

कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भ्रांतिजन्य त्रुटियाँ

समाचारों में

- हाल ही में शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की भ्रांतिजन्य त्रुटियाँ** साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक नए खतरे के रूप में उभर रही हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की भ्रांतिजन्य त्रुटियाँ

- **भ्रांतिजन्य त्रुटि** वह स्थिति है, जिसमें **वृहद भाषा मॉडल (LLM)**, विशेषकर जनरेटिव AI चैटबॉट अथवा कंप्यूटर विज़न आधारित उपकरण, ऐसे पैटर्न, वस्तुओं अथवा तथ्यों का निर्माण या पहचान कर लेते हैं जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं होते अथवा मानव पर्यवेक्षकों के लिए प्रत्यक्ष नहीं होते।
- AI की भ्रांतिजन्य त्रुटियाँ अब केवल विश्वसनीयता से जुड़ी समस्या न रहकर **साइबर सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा** बन गई हैं।
- साइबर अपराधी **फैंटम स्क्वाटिंग** तथा **हैलूस्क्वाटिंग** जैसी तकनीकों का उपयोग कर इन पूर्वानुमेय त्रुटियों का लाभ उठाते हैं।
- इसके अंतर्गत वे फर्जी वेबसाइटों एवं दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर पैकेजों का निर्माण करते हैं, जिनकी अनुशंसा AI द्वारा किए जाने की संभावना अधिक होती है।
- परिणामस्वरूप, इनका उपयोग **फिशिंग हमलों**, **मैलवेयर के प्रसार** तथा उपयोगकर्ताओं की संवेदनशील जानकारी की चोरी के लिए किया जाता है।

प्रमुख शब्दावली

- **स्क्वाटिंग: स्क्वाटिंग** एक साइबर अपराध तकनीक है, जिसमें हमलावर ऐसे नकली डोमेन नाम अथवा सॉफ्टवेयर पैकेज तैयार करते हैं, जो वास्तविक वेबसाइटों या सॉफ्टवेयर से अत्यधिक मिलते-जुलते प्रतीत होते हैं।
    - इसके प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं—
        - **टाइपोस्क्वाटिंग** : गलत वर्तनी वाले वेबसाइट डोमेन बनाना।
        - **ब्रांड स्क्वाटिंग** : किसी प्रसिद्ध ब्रांड की नकल करना।
        - **पैकेज स्क्वाटिंग** : समान नाम वाले दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर पैकेज तैयार करना।
        - इन सभी तकनीकों का आधार **मानवीय त्रुटि** होता है।
- **फैंटम स्क्वाटिंग :** यह एक साइबर हमला है, जिसमें साइबर अपराधी AI की भ्रांतिजन्य त्रुटियों का लाभ उठाकर ऐसे **फर्जी इंटरनेट डोमेन** पंजीकृत करते हैं, जिन्हें वृहद भाषा मॉडल (LLMs) उपयोगकर्ताओं को गलत रूप से सुझाते हैं।
    - ये डोमेन प्रायः वास्तविक वेबसाइटों, जैसे ग्राहक सेवा पोर्टल अथवा सहायता पृष्ठों , के समान दिखाई देते हैं।
    - हमलावर इन अप्रयुक्त डोमेनों को पंजीकृत कर उन पर **फिशिंग**, **मैलवेयर** अथवा **क्रेडेंशियल चोरी** से संबंधित वेबसाइटें संचालित करते हैं।
    - पारंपरिक फिशिंग के विपरीत, इसमें उपयोगकर्ता स्वयं AI की अनुशंसा पर विश्वास करके इन दुर्भावनापूर्ण वेबसाइटों तक पहुँच जाते हैं।
- **हैलूस्क्वाटिंग :** यह **सॉफ्टवेयर आपूर्ति श्रृंखला** पर आधारित एक साइबर हमला है।
    - इसमें हमलावर AI आधारित कोडिंग सहायकों द्वारा अस्तित्वहीन सॉफ्टवेयर पैकेजों, लाइब्रेरी अथवा रिपॉजिटरी के नाम उत्पन्न करने की प्रवृत्ति का दुरुपयोग करते हैं।

- इसके बाद वे इन काल्पनिक किंतु विश्वसनीय प्रतीत होने वाले पैकेज नामों को पंजीकृत कर उनमें दुर्भावनापूर्ण कोड अपलोड कर देते हैं।
- डेवलपर AI द्वारा सुझाए गए इंस्टॉलेशन कमांड को बिना सत्यापन के कॉपी-पेस्ट कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप इच्छित सॉफ्टवेयर के स्थान पर मैलवेयर उनके सिस्टम में स्थापित हो जाता है और वे उत्पन्न सुरक्षा जोखिम से अनभिज्ञ रहते हैं।

AI स्क्वाटिंग और प्रॉम्प्ट इंजेक्शन में अंतर

- **फैंटम स्क्वाटिंग** एवं **हैलूस्क्वाटिंग** जैसे AI स्क्वाटिंग हमले **प्रॉम्प्ट इंजेक्शन** से भिन्न होते हैं।
- ये हमले दुर्भावनापूर्ण प्रॉम्प्ट, **जेलब्रेक** तकनीकों अथवा AI मॉडल की कमजोरियों पर निर्भर नहीं होते।
- इसके स्थान पर, हमलावर बड़े भाषा मॉडलों (LLMs) की **पूर्वानुमेय रूप से गलत डोमेन नामों अथवा सॉफ्टवेयर पैकेजों का निर्माण करने की अंतर्निहित प्रवृत्ति** का लाभ उठाते हैं।
- यही कारण है कि ऐसे हमलों का बड़े पैमाने पर विस्तार संभव हो जाता है, क्योंकि उपयोगकर्ता केवल AI द्वारा सुझाई गई अनुशंसाओं का पालन करके ही प्रभावित हो सकते हैं, भले ही उन्होंने अभी तक किसी दुर्भावनापूर्ण सामग्री के साथ प्रत्यक्ष रूप से संपर्क न किया हो।

समाधान एवं निवारण के उपाय

- AI की भ्रांतिजन्य त्रुटियों को पूर्णतः समाप्त या पैच नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बड़े भाषा मॉडलों (LLMs) की उत्तर निर्माण प्रक्रिया की अंतर्निहित विशेषता हैं।
- जैसे-जैसे AI अधिक स्वायत्त होता जा रहा है, साइबर अपराधी AI द्वारा उत्पन्न काल्पनिक डोमेन नामों एवं सॉफ्टवेयर पैकेजों का दुरुपयोग कर सकते हैं, जिससे AI का व्यवहार स्वयं साइबर हमलों का एक नया माध्यम बनता जा रहा है।
- इसलिए, संस्थानों एवं उद्यमों को AI द्वारा सुझाए गए प्रत्येक **लिंक, सॉफ्टवेयर पैकेज तथा बाहरी संसाधन** का उपयोग करने से पूर्व उनका स्वतंत्र रूप से सत्यापन करना चाहिए।

स्रोत :BS

संक्षिप्त समाचार

फॉकलैंड द्वीपसमूह

संदर्भ

- 2026 फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड को पराजित करने के बाद अर्जेंटीना की टीम द्वारा फॉकलैंड द्वीपसमूह को अर्जेंटीना का क्षेत्र दर्शाने वाला बैनर प्रदर्शित किए जाने से विवाद उत्पन्न हो गया।

परिचय

- इस बैनर ने अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) के मध्य लगभग 200 वर्ष पुराने संप्रभुता विवाद को पुनः चर्चा में ला दिया।
- फॉकलैंड द्वीपसमूह, जिसे अर्जेंटीना में इस्लास माल्विनास कहा जाता है, वर्ष 1833 में ब्रिटेन द्वारा पुनः नियंत्रण स्थापित किए जाने के बाद से विवादित बना हुआ है।
- अर्जेंटीना का दावा है कि वर्ष 1816 में स्पेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात उसने इन द्वीपों पर स्पेन की संप्रभुता उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त की थी। अतः वह इन द्वीपों पर ब्रिटेन के नियन्त्रण को अवैध मानता है।
- वर्ष 1982 में दोनों देशों के बीच 74 दिनों तक युद्ध हुआ, जिसमें 649 अर्जेंटीनी तथा 255 ब्रिटिश सैनिकों की मृत्यु हुई।
- वर्ष 2013 में आयोजित जनमत-संग्रह में द्वीपसमूह के अधिकांश निवासियों ने ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र के रूप में बने रहने के पक्ष में मतदान किया, किंतु अर्जेंटीना इस परिणाम को मान्यता नहीं देता।

स्रोत: IE

मानसबल झील

संदर्भ

- प्रवासी पक्षियों की पुनः वापसी के साथ मानसबल झील पारिस्थितिकीय पुनरुद्धार की दिशा में अग्रसर है।

परिचय

- यह मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित भारत की सबसे गहरी स्वच्छ जल की झील है।
- माना जाता है कि मानसबल नाम की उत्पत्ति मानसरोवर झील के नाम से हुई है।
- झील के किनारे स्थित जरोका नामक मुगल उद्यान, जिसका निर्माण नूरजहाँ ने करवाया था, झील का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है।

- मानसबल झील 23 कुलों से संबंधित 46 से अधिक पक्षी प्रजातियों का प्राकृतिक आवास रही है, जिनमें प्रमुख हैं—
    - मल्लार्ड
    - व्हाइट-हेडेड डक
    - यूरेशियन हूपो
    - यूरेशियन कॉलर्ड डव
    - लेसर पाइड किंगफिशर
    - गोल्डन ईगल
    - ग्रे-बैक्ड श्राइक
    - टिकेल्स थ्रश आदि।
- इसे उष्ण मोनोमिक्टिक झील के रूप में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् यह वर्ष में केवल एक बार अल्प अवधि के लिए जल का पूर्ण मिश्रण करती है।
- उष्ण मोनोमिक्टिक झील वह जलाशय होता है जो कभी जमता नहीं है तथा वर्ष के अधिकांश समय तापीय स्तरीकरण की अवस्था में रहता है।
- झील का जल एक निकास नहर के माध्यम से झेलम नदी से जुड़ा हुआ है तथा इसके जल प्रवाह को कृत्रिम रूप से नियंत्रित किया जाता है।

स्रोत: TH

विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन (WAICO)

समाचारों में

- चीन ने 2026 विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन के दौरान शंघाई में औपचारिक रूप से विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन (WAICO) का शुभारंभ किया।

WAICO के बारे में

- यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सहयोग, क्षमता निर्माण तथा साझा AI शासन मानकों को बढ़ावा देने हेतु विकासशील देशों के लिए स्थापित एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका स्थायी मुख्यालय शंघाई में स्थित है।
- यह वैश्विक दक्षिण पर विशेष रूप से केंद्रित अपनी प्रकार की प्रथम स्थायी संस्था है।
- वर्तमान में इसमें 29 देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं।
- चीन ने 5,000 AI प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध कराने तथा आसियान , अफ्रीकी संघ , ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन (SCO), अरब राज्यों के लीग तथा CELAC के साथ संयुक्त AI सहयोग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है।
- संगठन ओपन-सोर्स AI मॉडल, प्रौद्योगिकी साझाकरण तथा सहयोगात्मक AI विकास को प्रोत्साहित करेगा।
- WAICO की रूपरेखा से जुड़ने वाले देशों के लिए यूरोपीय संघ AI अधिनियम , OECD AI सिद्धांत अथवा G7 हिरोशिमा प्रक्रिया के अनुरूप AI विनियम अपनाना अनिवार्य नहीं होगा।

महत्व

- यह मंच वैश्विक दक्षिण के साथ वैश्विक AI शासन में चीन के प्रभाव को अधिक सुदृढ़ करेगा।
- यह पश्चिम-नेतृत्व वाले AI शासन ढाँचों—जैसे OECD, EU AI Act तथा G7हिरोशिमा प्रक्रिया—के समक्ष पहला वास्तविक संस्थागत विकल्प है, जिसे विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है।

स्रोत: इंडिया टुडे

निवेश अनुकूलता सूचकांक (IFI)

संदर्भ

- नीति आयोग ने “निवेश अनुकूलता सूचकांक (IFI)” शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

परिचय

- यह रिपोर्ट इस बात का **संरचित एवं आँकड़ा-आधारित ढाँचा** प्रस्तुत करती है कि राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश निवेश के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन, संवर्धन एवं स्थायित्व सुनिश्चित करने में कितने प्रभावी हैं।
- इसमें निवेश आकर्षण का मूल्यांकन निम्नलिखित **आठ स्तंभों** के आधार पर किया गया है—
    - अवसंरचना
    - व्यावसायिक वातावरण
    - संसाधन
    - सरकारी नीति
    - नियामकीय सुगमता
    - संस्थागत वातावरण
    - वित्तीय स्वास्थ्य
    - पर्यावरणीय प्रत्यास्थता
- इस रूपरेखा में **84 संकेतकों** को सम्मिलित किया गया है, जिनमें द्वितीयक आँकड़ों के साथ-साथ निवेशकों के प्राथमिक सर्वेक्षण से प्राप्त धारणा-आधारित मापदंड भी शामिल हैं।

राज्यों का वर्गीकरण

- राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन के आधार पर निम्नलिखित चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है—

- **शीर्ष प्रदर्शनकर्ता** — 50 से अधिक अंक।
- **अग्रणी राज्य** — 45 से 50 अंक।
- **उभरते प्रदर्शनकर्ता** — 40 या उससे अधिक, किंतु 45 से कम अंक।
- **आकांक्षी राज्य** — 40 से कम अंक।

प्रमुख निष्कर्ष

- **बड़े राज्यों** की श्रेणी में **गुजरात** प्रथम स्थान पर रहा, जबकि **महाराष्ट्र** एवं **तमिलनाडु** क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर रहे। यही तीनों राज्य समग्र सूचकांक में भी शीर्ष प्रदर्शनकर्ता हैं।
- **पर्वतीय एवं उत्तर-पूर्वी राज्यों** की श्रेणी में **उत्तराखंड** प्रथम स्थान पर रहा, जिसके बाद **असम** तथा **हिमाचल प्रदेश** का स्थान रहा।
- **नगर-राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों** की श्रेणी में **गोवा** प्रथम स्थान पर रहा, जबकि **दिल्ली** एवं **चंडीगढ़** क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर रहे।

स्रोत: TH

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM)

संदर्भ

- केंद्र सरकार ने **हरजीत सिंह ग्रेवाल** को **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग** (NCM) का अध्यक्ष नियुक्त किया है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM)

- केंद्र सरकार ने **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992** के अंतर्गत **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग** (NCM) की स्थापना की।
- प्रथम **वैधानिक** राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन वर्ष 1993 में किया गया।
- प्रारंभ में केंद्र सरकार द्वारा **पाँच धार्मिक समुदायों**—मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी (जरथुस्त्री)—को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था।
- वर्ष **2014** में **जैन समुदाय** को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया।
- **संरचना: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992** की धारा **3(2)** के अनुसार आयोग में निम्नलिखित सदस्य होते हैं—
    - एक अध्यक्ष
    - एक उपाध्यक्ष
    - पाँच सदस्य
    - इस प्रकार आयोग में कुल **सात सदस्य** होते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार प्रतिष्ठा, क्षमता एवं सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से नामित करती है।
    - प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से **तीन वर्ष** का होता है।
- **उद्देश्य:** आयोग का उद्देश्य भारतीय संविधान तथा संसद एवं राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों में निहित प्रावधानों के अनुरूप **अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित करना** है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कार्य

- केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा हेतु उपलब्ध संवैधानिक एवं विधिक संरक्षणों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनुशंसाएँ करना।
- अल्पसंख्यकों के अधिकारों एवं संरक्षणों से वंचित किए जाने संबंधी विशिष्ट शिकायतों की जाँच करना तथा संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष ऐसे मामलों को उठाना।
- अल्पसंख्यकों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन कराना तथा उनके समाधान हेतु आवश्यक उपायों की अनुशंसा करना।
- अल्पसंख्यकों से संबंधित विषयों एवं उनके समक्ष उपस्थित कठिनाइयों पर समय-समय पर अथवा विशेष प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करना।

स्रोत:TH

ICMR i-ड्रोन पहल

समाचारों में

- हाल ही में **भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR)** ने अपनी **i-DRONE पहल** के अंतर्गत दूरस्थ क्षेत्रों में **क्षयरोग (TB) के थूक (Sputum) नमूनों** के ड्रोन-सहायता प्राप्त परिवहन का सफल प्रदर्शन किया, जिससे तपेदिक के निदान तक पहुँच को बेहतर बनाने में सफलता मिली है।

i-DRONE पहल

- **ICMR** की **ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच फॉर नॉर्थ ईस्ट (i-DRONE)** पहल का शुभारंभ वर्ष **2021** में किया गया था।
- इसका उद्देश्य **मणिपुर** एवं **नागालैंड** के दूरस्थ क्षेत्रों में टीकों एवं अन्य चिकित्सीय सामग्रियों की आपूर्ति हेतु ड्रोन के उपयोग का मूल्यांकन करना था।
- इस परियोजना के अंतर्गत **तेलंगाना** में **हब एवं स्पोक आधारित ड्रोन नेटवर्क** विकसित किया गया, जिसने—
    - 60 उप-स्वास्थ्य केंद्रों ,

- 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs),
- तथा 4 तपेदिक (TB) इकाइयों को आपस में जोड़कर TB निदान के लिए थूक के नमूनों के परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित की।

प्रमुख परिणाम

- तपेदिक के निदान में लगने वाला **माध्य समय 15 दिनों से घटकर 5 दिन** रह गया।
- रोगियों द्वारा स्वयं वहन किए जाने वाले औसत व्यय (**OOPE**) में उल्लेखनीय कमी आई और यह **₹9,451 से घटकर लगभग ₹91** रह गया।
- बड़ी संख्या में रोगियों को यात्रा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जिसके कारण उनका **यात्रा व्यय शून्य** हो गया।

स्रोत: PIB

भारत प्राइवेट लॉन्च क्षमता वाला तीसरा देश बना।

संदर्भ

- **स्काईरूट एयरोस्पेस** के **विक्रम-1 टेस्ट फ्लाइट-1** ने सफलतापूर्वक कक्षा में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही भारत **प्राइवेट लॉन्च प्रक्षेपण** क्षमता रखने वाला विश्व का **तीसरा देश** बन गया है।

विक्रम-1 के बारे में

- **मिशन आगमन** के अंतर्गत विकसित **विक्रम-1** एक **चार-चरणीय कक्षीय प्रक्षेपण यान** है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप **स्काईरूट एयरोस्पेस** ने विकसित किया है।
    - इसके **प्रथम तीन चरण ठोस ईंधन** आधारित हैं, जो प्रारंभिक चरण में प्रबल प्रणोदन प्रदान करते हैं, जबकि इसका अंतिम चरण **हाइपरगोलिक द्रव ईंधन** पर आधारित है, जिससे कक्षा में अत्यंत सटीक संचालन संभव हो पाता है।
- इसका निर्माण **पूर्णतः कार्बन कंपोजिट संरचना**, विश्वसनीय ठोस ईंधन बूस्टर तथा **3D-मुद्रित द्रव इंजन** के साथ किया गया है।
- यह **भारत का प्रथम निजी क्षेत्र द्वारा विकसित कक्षीय श्रेणी का रॉकेट** है।
- **विक्रम-1** निम्न पृथ्वी कक्षा में **350 किलोग्राम** तथा **सूर्य-समकालिक कक्षा** में **260 किलोग्राम** तक पेलोड स्थापित करने में सक्षम है।

विक्रम-1 द्वारा प्रक्षेपित पेलोड

- रचनात्मकता एवं भारत की वैज्ञानिक विरासत को समर्पित पेलोड:
    - **कॉस्मिक ब्लूम** : **कॉसमॉस डायमंड्स** द्वारा विकसित, जिसमें एल्यूमिनियम आधार प्लेट पर स्थापित हीरे के आभूषण की विशेष संरचना सम्मिलित है।
    - **माइक्रोआर्ट** : 18 कैरेट स्वर्ण से निर्मित एक सूक्ष्म रॉकेट, जिसमें **सर सी. वी. रमन**, **डॉ. विक्रम साराभाई** तथा **डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम** की सूक्ष्म प्रतिमाएँ स्थापित हैं, जिनका आकार चावल के एक दाने से भी छोटा है।
- प्रौद्योगिकी प्रदर्शन पेलोड:
    - **रोबोटिक आर्म्स** — कॉसमोसर्व
    - **सोलारस** — ग्राहा स्पेस
    - **स्कोप (SCOPE)** — स्काईरूट एयरोस्पेस
    - **अंतरराष्ट्रीय पेलोड** — **uD3PP** एवं **mD3RN**, जिन्हें जर्मनी की **Dcubed GmbH** द्वारा विकसित किया गया है।

स्रोत: प्रेस PIB, IT

व्हाइट रैबिट प्रौद्योगिकी आधारित नेटवर्क प्रदर्शन

संदर्भ

- केंद्रीय मंत्री **प्रह्लाद जोशी** ने **"एक राष्ट्र, एक समय "** पहल के अंतर्गत **बेंगलुरु** के **जक्कूर स्थित क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशाला** में **व्हाइट रैबिट प्रौद्योगिकी आधारित भारतीय मानक समय वितरण प्रदर्शन नेटवर्क** का उद्घाटन किया।

"एक राष्ट्र, एक समय" पहल क्या है?

- इस पहल का उद्देश्य देश के सभी क्षेत्रों के लिए **भारतीय मानक समय** का **एकल, सटीक, सुरक्षित एवं स्वदेशी स्रोत** स्थापित करना है।
- इसका लक्ष्य महत्त्वपूर्ण अवसंरचनाओं को **एकरूप एवं अनुरेखणीय समय समकालिकता** उपलब्ध कराना है।
- यह समय वितरण के लिए भारत की **विदेशी वैश्विक नौवहन उपग्रह प्रणालियों (GNSS)**, जैसे **GPS**, पर निर्भरता को कम करेगा।

व्हाइट रैबिट प्रौद्योगिकी क्या है?

- **व्हाइट रैबिट (WR)** एक **ईथरनेट** आधारित अत्यधिक सटीक **समय समकालिकता** प्रौद्योगिकी है, जिसमें निम्नलिखित तकनीकों का समन्वय किया गया है—

- **प्रिसीजन टाइम प्रोटोकॉल (PTP, IEEE 1588)** — घड़ियों के समकालिकीकरण हेतु।
- **सिंक्रोनस ईथरनेट (SyncE)** — आवृत्ति समकालिकीकरण हेतु।
- **ऑप्टिकल फाइबर संचार** — अत्यंत न्यून विलंबता सुनिश्चित करने हेतु।

प्रमुख विशेषताएँ

- **एक नैनोसेकंड से भी कम** स्तर की समय समकालिकता की सटीकता।
- लंबी दूरी के **फाइबर-ऑप्टिक नेटवर्क** पर उच्च विश्वसनीयता।
- यह एक **ओपन-सोर्स** प्रौद्योगिकी है, जिसे मूल रूप से **सर्न (CERN)** द्वारा कण भौतिकी प्रयोगों के लिए विकसित किया गया था तथा वर्तमान में इसे औद्योगिक एवं राष्ट्रीय समय-निर्धारण) के लिए अनुकूलित किया गया है।

भारतीय मानक समय वितरण नेटवर्क की कार्यप्रणाली

- **राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला** भारत की आधिकारिक **परमाणु घड़ियों** का संचालन करती है तथा आधिकारिक भारतीय मानक समय उत्पन्न करती है।
- IST को सुरक्षित **व्हाइट रैबिट फाइबर-ऑप्टिक नेटवर्क** के माध्यम से प्रसारित किया जाता है।
- यह समय अत्यंत उच्च सटीकता के साथ क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं एवं महत्त्वपूर्ण संस्थानों तक पहुँचाया जाता है।
- **बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, दूरसंचार ऑपरेटर, विद्युत ग्रिड, रक्षा प्रणालियाँ** तथा **डेटा केंद्र** अपनी घड़ियों को आधिकारिक IST के साथ समकालिक करते हैं।

स्रोत: PIB

ASW अल्प-गहराई वाले जल युद्धपोत 'मालवन'

संदर्भ

- भारतीय नौसेना **माहे श्रेणी** के **पनडुब्बी रोधी अल्प-गहराई वाले जल युद्धपोत 'मालवन'** को सेवा में शामिल करने जा रही है। यह इस श्रेणी का दूसरा युद्धपोत है।

परिचय

- **मालवन** का निर्माण **कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL)**, कोच्चि द्वारा किया गया है।
- इसमें **80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री** का उपयोग किया गया है, जो **आत्मनिर्भर भारत** पहल के अंतर्गत युद्धपोतों की अभिकल्पना , निर्माण एवं प्रणाली एकीकरण में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करता है।
- **माहे श्रेणी के ASW शैलो वाटर क्राफ्ट** को विशेष रूप से **तटीय एवं अल्प-गहराई वाले समुद्री क्षेत्रों** में प्रभावी संचालन हेतु डिज़ाइन किया गया है, जिससे भारतीय नौसेना की **पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता** में वृद्धि होगी।
- इन युद्धपोतों को भारतीय नौसेना के पुराने **अभय श्रेणी** के कार्वेटों के स्थान पर शामिल किया जा रहा है।

प्रमुख विशेषताएँ

- इसमें **द्वि-शाफ्ट डीज़ल प्रणोदन प्रणाली** लगी है, जो **6 मेगावाट से अधिक शक्ति** उत्पन्न करती है।
- इसकी **अधिकतम गति 25 नॉट** है।
- यह **14 नॉट की गति पर 1,800 समुद्री मील** तक की परिचालन क्षमता रखता है।
- इसकी **सतत समुद्री परिचालन अवधि** लगभग **14 दिन** है।

स्रोत: PIB